न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–I, संत कबीर नगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1371/2022

CNR–UPSK010029022022

अमरनाथ, उम्र 54 वर्ष, पुत्र विश्वनाथ, निवासी ग्राम–मंगल बाजार, थाना–बखिरा, जनपद–संत कबीर नगर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **.....विपक्षी**

मु०अ०सं०–308/2022,
धारा–147,148,307 भा०दं०वि०
थाना–बखिरा, जनपद–संत कबीर नगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र 4क

आवेदक/अभियुक्त **अमरनाथ** द्वारा मु०अ०सं०–308/2022, धारा– 147,148, 307 भा०दं०वि०, थाना–बखिरा, जनपद–संत कबीर नगर में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अमरनाथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अनूप सिंह द्वारा थानाध्यक्ष बखिरा को इस आशय से तहरीर दिया कि वह तहरीर में दिये गये पते का निवासी है। दिनांक 06.10.2022 को मंगल बाजार से मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ मोहल्ले के लोगों ने जान लेवा हमला किया धारधार हथियार से जिससे अरुन को पेट में 20 टाका, सर में 4 टाका एवं अनूप को गले में ऊपर जान से मारने के उपरान्त पांच टाके लगे है। मारने वाले अभियुक्त का नाम बैजनाथ पुत्र शिवपूजन, झिनकू उर्फ बास्कोनाथ पुत्र शिवपूजन, मनीष पुत्र जगरनाथ, अमरनाथ पुत्र शिवपूजन व अमरनाथ पुत्र विश्वनाथ कसेरा इन लोगों ने धारदार हथियारों से जान लेवा हमला ढ़ोडेवा नहर पर किया। पुरानी रंजिश के कारण धारधार हथियार से हमला किया। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि– प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष है। प्रार्थी ने इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या किसी अन्य न्यायालय में न तो दाखिल किया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी बेगुनाह, बेकसूर है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वादी मुकदमा महज रंजिशन फर्जी व मनगढ़ंत कहानी बनाकर प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की गरज से झूठे केस में फंसा दिया है। तथा कथित घटना से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। अभियोजन कथानक पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। सत्य बात यह है कि तथाकथित घटना के दिनांक व समय पर प्रार्थी अपने घर पर था। वादी मुकदमा प्रार्थी के विरोधियों के साजिश में होकर प्रार्थी को झूठे केस में फंसा दिया है। प्रार्थी तथाकथित घटना स्थल पर न तो गया था और न ही कोई अपराध किया है। प्रार्थी का तथाकथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से कानूनी राय मशविरे के बाद लिखायी गयी है।

Digitally signed by ANIL KUMAR VASHISTHA
Date: 2022.11.07 17:30:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं दर्शाया गया है। तथाकथित घटना मूर्ति विसर्जन के समय की कही जाती है, जिस समय काफी भीड़ थी तथा अन्धेरा हो गया था। भीड़ में किसके द्वारा चोट पहुंचाया गया जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के विरुद्ध उपरोक्त दफाओं का कोई केस नहीं बनता है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी की जमानत प्रार्थना स्वीकार होने के उपरान्त प्रार्थी विवेचना विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा अभियोजन साक्षियों पर असम्यक असर नहीं डालेगा। प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 438(b) दं०प्र०सं० से बाधक नहीं है। प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के भारत वर्ष के बाहर नहीं जायेगा। प्रार्थी बाल बच्चेदार व्यक्ति हैं। प्रार्थी से मफरूरी का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी जमानत एवं मुचलका देने को तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पूर्णतया पालन करेगा। अतः प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के अग्रिम जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिल कर वादी एवं उसके भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ०) को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों तथा अन्य सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं केस डायरी के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि दिनांक 06.10.2022 को मूर्ति विसर्जन के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी व उसके भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें अरुण के पेट में 20 टाका व सिर पर 4 टाका एवं अनूप सिंह के गले के ऊपर 5 टाके लगे हैं। केस डायरी में संलग्न चुटहिल अनूप कुमार सिंह की इंजरी रिपोर्ट में चोट संख्या 1– Inciesed wound of size approx. 3X0.1cm.x0.1cm. on left side on cheek approx. 3.5cm above from angle of mandeble. चुटैहिल अरुण कुमार की इंजरी रिपोर्ट के अनुसार incised wounded of size 21.0cmx2.00cm clean cut marzeen left deep our left side of abdomain 5 cm away from ambicus and 20.01 cm. Above left portion. तथा चोट संख्या 2– L/W of size 1.0 cmx1.0cm our left parietal reason muscle deep 6.0cm above left ear bleeding present. उपरोक्त चोट सिर्फ दारदार हथियार से कारित किया जाना अंकित गया गया है तथा चोट संख्या 1 को निगरानी में रखी जाने का चिकित्सक ने राय दी है।

इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर चुटैहिल अनूप सिंह व अरुण कुमार को धारदार हथियार व लाठी–डण्डे से चोट पहुंचाये जाने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी/अभियुक्त अमरनाथ को इस प्रकरण में गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने एवं अपमानित करने के उद्देश्य से उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अमरनाथ द्वारा मु०अ०सं० –308/2022, धारा–147,148,307 भा०दं०वि०, थाना–बखिरा, जनपद–संत कबीर नगर के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र 4 क खारिज किया जाता है।

दिनांक–07.11.2022
रवीन्द्र कुमार/–

(अनिल कुमार वशिष्ठ)
[J.O.Code –UP05870]
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–1
संतकबीर नगर।